□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□तारांकित प्रश्न □ख□□: 3288
13 □□□, 2020 □□ □□□□□□□□□□ प्रश्□ □□ □त्त□

□□□□□ □□□□□

3288. श्री देवुसिह चैहानः
□□. □न्द्र □□ □□□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) चिकित्सकों को चिकित्सा नैतिकता और आचरण को विनियमित करने हेतु वतमान नियम/दिशानिदश क्या □ □□ □□□ □ इनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाओं के बदले ब्रांडेड दवाएं लिखने जैसे कदाचार और अनैतिक प्रथा को घटनाओं का संज्ञान लिया है और यदि हां, □□ □त□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□ चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कारवाई को गई है; □□

(□) □□ □□□श्चि□ □□□□□□□□□ □□क□□ □□□ □म□□□□ों के साथ सांठगांठ करके ब्रांडेड दवाएं न लिख और उनको बढ़ावा न द बल्कि केवल जेनेरिक दवाएं ही लिख, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री (श्र□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □□(□): स्वास्थ्य राज्य का विषय है □□ □□□ □□□ □□□□ □न्द्री□ स□□ □□ □□ों □□□ □□□□ □□□□□□□□, भारतीय चिकित्सा परिषद (व्य□□□□□□□ □□□□, □ष्ट□□□□ □□□□□□□□□) □□□□□□,2002 □□□□ 1.5 □ वणित है कि प्रत्येक चिकित्सक को दवाओं का परामश उनके जेनेरिक नाम के साथ स्पष्ट रूप से पठनीय और □□□□□□ बड़े अक्षरों म देना चाहिए तथा वह चिकित्स□ यह सुनिश्चित करेगा कि परामश और दवा का उपयोग □□□□□ □□□□□□□□□□□, भारतीय चिकित्सा परिषद (□□□□□□) □□□□□□ 21.04.2017 □□ □□ □□□□त्र □□□□ □□□□ □,जिसके माध्यम से सभी पंजीकृत चिकित्सकों को उपयुक्त प्रा□□□□ों □□ □□□□□□ □□□□□□□□ निदश दिए गए ह□ एमसीआई अथवा उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों को उक्त □□□□□□ों □प्र□□□□ों □□ उल्लंघन करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही करने को शक्तियां प्रदान □ो □□ □□ □□ □□□ चिकित्सकों द्व□□□ □□□□□□ □□□□□□ों □□ □ल□□□ □□□□□ो शिकायत प्राप्त होती ह तो ऐसी शिकायतों को एमसीआई द्वारा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को संदभित किया जाता है, □□□□□□□□□□□□/□□□□□ प्रै□के□□□□ □□□□□ □□

......